न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 34 / 2020

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1 चेतनराम 2 किशनलाल पिसरान सताराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर।

1 सताराम पुत्र आदूराम निवासी भाड़खा पुरोहितान 2 गोमीदेवी पुत्री सताराम पत्नी भभूताराम निवासी मोतीनाडा नागड़दा 3 तीजोदेवी पुत्री सताराम पत्नी नवलाराम निवासी नारायाणियों की ढाणी तहसील बाडमेर 4 नथाराम 5 भमराराम 6 गुमनाराम पिसरान काछबाराम 7 माझू पत्नी काछबाराम 8 अणदाराम 9 ताराराम 10 अर्जुनराम 11 देवाराम पिसरान जोधाराम 12 बबरी पत्नी जोधाराम 13 खींमाराम पुत्र आदूराम 14 सांवताराम पुत्र केसराराम 15 करनाराम 16 जेठाराम 17 खुशालाराम पिसरान आम्बाराम 18 मथरी पत्नी आम्बाराम 19 कुम्भाराम 20 लालाराम 21 इन्द्राराम पिसरान समरथाराम 22 मोबताराम 23 धर्माराम पिसरान शंकराराम 24 कुंतादेवी पत्नी शंकराराम 25 मेहराराम 26 मंगलाराम 27 भूराराम 28 खंगाराराम पिसरान हुकमाराम 29 वदू पत्नी हुकमाराम 30 बाबूलाल 31 गोरखाराम पिसरान वगताराम 32 जसोदादेवी पत्नी वगताराम 33 जुगताराम पुत्र जानाराम 34 मधाराम 35 चनणाराम 36 बंशीलाल पिसरान लुणाराम 37 मानाराम 38 किशनलाल 39 हरजीराम 40 भंवराराम 41 उदाराम पिसरान भेराराम 42 भोपाराम पुत्र केसराराम 43 खेताराम 44 लच्छाराम 45 शंकराराम पिसरान कुटलाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर 46 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत, वकील वादीगण।
2. श्री कुमार कौशल, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 27/08/21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 0 से 03 आदुराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 133 / 100 रकबा 32.05 बीघा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 803 / 408 रकबा 06.03 बीघा व मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 915 / 578 रकबा 07.04 बीघा भूमि तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 269 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 05. 09 बीघा, खसरा संख्या 222 रकबा 08.14 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 08.12 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 10.18 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि आदूराम के फौतगी पर प्रतिवादी संख्या 01 सताराम के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 सताराम के विधिक वारिस है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 वादीगण की शादीसुदा बहने है जिनका हक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने उनकी शादी के समय दिया जा चुका है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही रहा है मात्र वारिशान होने के नाते औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकारा अधिनियम

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(SDO) बाड़मेर

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

की धारा 06 के अनुसार जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में निम्नानुसार खातेदारी हिस्सा का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

मौजा	खसरा संख्या	रकबा	प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा	नोशनल शेयर के हिसाब से वादीगण प्रत्येक का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा
नारणाणियों की ढाणी	133/100	32.05	आवगा	1/3-1/3	1/3
भाड़खा पुरोहितान	802/408	06.03	आवगा	1/3-1/3	1/3
भाड़खा	269	16.14	1/8	1/24-1/24	1/24
	212	05.09	1/6	1/18-1/18	1/18
खारिया तला	915/578	07.04	आवगा	1/3-1/3	1/3
भाड़खा	222	08.14	1/16	1/48-1/48	1/48
	225	08.12	1/48	1/144-1/144	1/144
	223	10.18	वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।		

प्रतिवादी संख्या 01 सताराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 सताराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का उक्तानुसार हिस्सा जन्म से निहित है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपना हक वादीगण के पक्ष में तर्क करते हुए राजीनामा पेश किया है तथा वादीगण के साक्षीगण ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। वादीगण अपनी पैतृक भूमि में अपने पिता सतारात जो प्रतिवादी संख्या 01 है, की भूमि में अपने पिता के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने में उसके पिता सताराम को कोई आपति नही है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 01 सताराम के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। अतः वादीगण का वाद प्रस्तुत राजीनामा एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर स्वीकार किया जाकर मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 133/100 रकबा 32.05 बीघा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 803/408 रकबा 06.03 बीघा व मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 915/578 रकबा 07.04 बीघा भूमि तथा मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 269 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 05.09 बीघा, खसरा संख्या 222 रकबा 08.14 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 08.12 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 10.18 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 सताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27/08/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)   अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 चेतनराम 2 किशनलाल पिसरान सताराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर।		1 सताराम पुत्र आदूराम निवासी भाड़खा पुरोहितान 2 गोमीदेवी पुत्री सताराम पत्नी भभूताराम निवासी मोतीनाडा नागड़दा 3 तीजोदेवी पुत्री सताराम पत्नी नवलाराम निवासी नारायाणियों की ढाणी तहसील बाडमेर 4 नथाराम 5 भमराराम 6 गुमनाराम पिसरान काछबाराम 7 माझू पत्नी काछबाराम 8 अणदाराम 9 ताराराम 10 अर्जुनराम 11 देवाराम पिसरान जोधाराम 12 बबरी पत्नी जोधाराम 13 खींमाराम पुत्र आदूराम 14 सांवताराम पुत्र केसराराम 15 करनाराम 16 जेठाराम 17 खुशालाराम पिसरान आम्बाराम 18 मथरी पत्नी आम्बाराम 19 कुम्भाराम 20 लालाराम 21 इन्द्राराम पिसरान समरथाराम 22 मोबताराम 23 धर्माराम पिसरान शंकराराम 24 कुंतादेवी पत्नी शंकराराम 25 मेहराराम 26 मंगलाराम 27 भूराराम 28 खंगाराराम पिसरान हुकमाराम 29 वदू पत्नी हुकमाराम 30 बाबूलाल 31 गोरखाराम पिसरान वगताराम 32 जसोदादेवी पत्नी वगताराम 33 जुगताराम पुत्र जानाराम 34 मधाराम 35 चनणाराम 36 बंशीलाल पिसरान लुणाराम 37 मानाराम 38 किशनलाल 39 हरजीराम 40 भंवराराम 41 उदाराम पिसरान भेराराम 42 भोपाराम पुत्र केसराराम 43 खेताराम 44 लच्छाराम 45 शंकराराम पिसरान कुटलाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर 46 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 34 / 2020
निर्णय दिनांक :– ....27.05.21....

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.05.21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद प्रस्तुत राजीनामा एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर स्वीकार किया जाकर मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 133 / 100 रकबा 32.05 बीघा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 803 / 408 रकबा 06.03 बीघा व मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 915 / 578 रकबा 07.04 बीघा भूमि तथा मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 269 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 05.09 बीघा, खसरा संख्या 222 रकबा 08.14 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 08.12 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 10.18 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 सताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख ..27.05.21.. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये प्र प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	